न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/431

1. चन्द्रप्रकाश आयु 48 वर्ष आत्मज कान्हा जाति मीणा निवासी कोठडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. गोपाल आयु 75 वर्ष आत्मज मांगी लाल जाति मीणा निवासी ग्राम कोठडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. प्रहलाद आयु 35 वर्ष
2. बद्री लाल आयु 32 वर्ष
3. गोविन्द लाल आयु 25 वर्ष
4. धर्मराज आयु 22 वर्ष पिसरान प्रभू लाल जाति मीणा निवासी ग्राम कोठडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
5. राजेन्द्र
6. दिनेश पिसरान बिरधा जाति मीणा निवासी ग्राम कोठडी तसहील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
7. रामराज
8. रामप्रसाद पिसरान कान्हा जाति मीणा निवासी कोठडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
9. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 16.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री 25.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोटडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 24 रकबा 1.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 27 रकबा 1.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 220 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 221 रकबा 1.86 हैक्टर, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 223 रकबा 1.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 231 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 232 रकबा 0.9 हैक्टर, खसरा नम्बर 233

रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 354 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 358 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 363 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 368 रकबा 0.02 हैक्अर, खसरा नम्बर 373 रकबा 0.5 हैक्टर, खसरा नम्बर 374 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 745 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 993 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 994 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 1006 रकबा 1.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 1007 रकबा 1.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 1008 रकबा 2.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 1016 रकबा 0.98 हैक्टर, खसरा नम्बर 1025 रकबा 3.4 हैक्टर कुल किता 28 कुल रकबा 20.65 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण कम 1 से 4 के संयुक्त कब्जे काश्त में है । उक्त आराजी में वादी प्रभूलाल का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी कम 1 गोपला का 1/4 तथा प्रतिवादी कम 2 कान्हा पुत्र श्रीराम का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी कम 3 व 4 राजेन्द्र कुमार व दिनेश पिसरान स्व0 बिरधी लाल का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा निहित है । उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है जिससे पक्षकारान को लगान, पिलाई एवं ऋण लेने में असुविधा होती है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवारदीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र में वर्णित आराजी में वादी का निहित हिस्सा 1/4 पृथक किया जाकर आराजी का बंटवारा किया जावे तथा वादी के हिस्से में आने वाली भूमि को वादी के पृथक खाते में दर्ज किया जावे । प्रत्येक हिस्सेदार के हिस्से में आने वाली आराजी सम्बन्धित पक्षकार के कब्जे में देते हुए पृथक किये गये हिस्से के अनुसार उनके पृथक–पृथक खाते अंकित किये जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.08.2012 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य प्राथमिक डिक्री के आधार पर अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.06.2015 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री 25.06.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा की प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने के बाद अपीलान्ट को बंटवारा रिपोर्ट तैयार किये जाने के लिए सूचना नहीं दी गई और सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया । बंटवारा रिपोर्ट अपीलान्ट की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई । पत्रावली में बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए पेशी दिनांक 08.04.2015 को दिनांक 28.05.2015 आगामी पेशी नियत की गई थी । उसके बाद बिना पेशी के ही दिनांक 25.06.2015 को मिसल किसी सूचना के बिना अपीलान्ट की अनुपस्थिति में राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । आराजी खसरा नम्बर 24 रकबा 1.58 हैक्टर अपीलान्ट प्रतिवादी गोपाल के हिस्से में व कब्जे में मौखिक पारिवारिक बंटवारा द्वारा गत 35 वर्षों से वाद प्रस्तुती के पहले से ही चली आना साबित होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि आराजी खसरा नम्बर 24 में से 0.78 हैक्टर भूमि वादी प्रभूलाल के हिस्से में अंकित डिक्री कर दी है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 25.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पेशी दिनांक 08.04.2015 को आगामी पेशी दिनांक 28.05.2015 नियत की गई थी जो बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये थी किन्तु

बिना पेशी के ही दिनांक 25.06.2015 को लोक अदालत में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बंटवारा रिपोर्ट तैयार कर अंतिम डिक्री पारित कर दी । अपीलान्ट चन्द्रप्रकाश के पिता कान्हा जी का दिनांक 07.07.2013 को निधन हो गया था उनके उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाये बिना ही अंतिम डिक्री पारित कर दी जिसकी अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.06.2017 को प्राप्त हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट के पिता ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2012 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई और दिनांक 25.06.2015 को लोक अदालत में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है । अपीलान्ट को बंटवारा रिपोर्ट तैयार किये जाने की कोई सूचना नहीं दी गई है, सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । रिपोर्ट अपीलान्ट की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है । दिनांक 08.04.2015 को दिनांक 28.05.2015 आगामी पेशी नियत की गई थी । उसके बाद बिना पेशी के ही दिनांक 25.06.2015 को मिसल किसी सूचना के बिना अपीलान्ट की अनुपस्थिति में राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की दी । मौके पर कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया है । अपीलान्ट चन्द्रप्रकाश के पिता प्रतिवादी क्रम 2 कान्हा का दिनांक 07.07.2013 को निधन हो गया है जिनके उत्तराधिकारी अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट रामराज व रामप्रसाद को पक्षकार बनाये बिना ही अंतिम डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.06.2015 निरस्त फरमाई जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली दिनांक 08.04.2015 को दिनांक 28.05.2015 आगामी पेशी नियत की गई थी । उसके बाद बिना पेशी के ही दिनांक 25.06.2015 को लोक अदालत में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की दी । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं उन्हें आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । बंटवारा रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है । तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित नहीं रहे हैं । बंटवारा प्रस्ताव पर भी वादी प्रभूलाल की उपस्थिति के हस्ताक्षर है । अपीलान्ट की उपस्थिति नहीं बताई गई है । संलग्न नजरी नक्शा में भी पक्षकारों के हिस्से को पृथक–पृथक दर्शाये हुए भिन्न–भिन्न स्याही का उपयोग नहीं किया गया है । इस प्रकार अंतिम डिक्री जारी करने से

पूर्व राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.06.2015 निरस्त की जाती है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत रूप से अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 03.12.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 16.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16.10.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा